उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल

प्रथम जमानत आवेदन संख्या - 962/2020

अयान खान और एक अन्य .....आवेदक

बनाम

उत्तराखंड राज्य ..... प्रत्यर्थी

उपस्थित:

श्री टी. ए. खान, आवेदकों के वरिष्ठ अधिवक्ता।

श्री प्रतिरूप पांडे, एजीए, उत्तराखंड राज्य के लिए।

<u>माननीय रवीन्द्र मैठाणी जे.</u>

आवेदकों, अयान खान और श्रीमती शबनम खान, थाना- काशीपुर, जिला- उधमसिंह नगर जो एफआईआर संख्या 240/2020, जो आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और महामारी रोग अधिनियम, 1897 की धारा 3 के अंतर्गत धाराओं 147, 148, 394, 332, 353, 506, 427, 323, 188, 504, 34 आईपीसी आर / डब्ल्यू धारा 51 (बी), में न्यायिक हिरासत में हैं, ने जमानत पर अपनी रिहाई की मांग की है।

2. वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम द्वारा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और रिकॉर्डों का अवलोकन किया।

3. जमानत आवेदन में कहा गया है कि आवेदक, अयान खान एक किशोर है। उसकी जन्म तिथि 12.04.2005 है और घटना की कथित तिथि 17.05.2020 है, जिसका अर्थ है कि घटना के समय उसने केवल पंद्रह वर्ष पूर्ण किए थे। यह जमानत आवेदन के पैरा नं. 11 और 15 में वर्णन किया गया है । हाई स्कूल परीक्षा प्रवेश पत्र, संलग्नक सं. 3, को जमानत आवेदन के साथ दाखिल किया गया है, जो आवेदक, अयान खान की जन्म तिथि 12.04.2005 को दर्ज करता है।

4. राज्य ने जवाबी हलफनामा दायर किया है और यह तथ्य जवाबी हलफनामा के पैरा नं. 9 और 11 में स्वीकार किया गया है। इसके अनुसार, जांच अधिकारी ने जांच के दौरान आवेदक अयान खान की जन्म तिथि से संबंधित रिकॉर्ड ले लिए हैं।

5. इस मामले के दो पहलू हैं। आवेदकों में से एक को विधिविरुद्ध किशोर और दूसरे को बालिग बताया गया है।

6. बहस के दौरान, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन जहां तक यह आवेदक श्रीमती सबनम खान से संबंधित है उन्हें नए सिरे से जमानत आवेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता के साथ वापस लेने की अनुमति मांगी।

7. अनुमति दी जाती है और इसलिए, जमानत आवेदन जहां तक आवेदक श्रीमती सबनम खान से संबंधित है, को वापस ले लिए जाने पर खारिज किया जाता है।

8. यह मामला आवेदक अयान खान से संबंधित है। इस न्यायालय में, जमानत में, पहली बार यह कहा गया है कि वह घटना की तिथि पर एक किशोर था यहां तक कि वह आज भी एक किशोर है।

9. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (संक्षेप में "जे.जे. अधिनियम") की धारा 9 अनुमति देती है कि किशोर की उम्र से संबंधित मुद्दे को किसी भी स्तर पर किसी भी कार्यवाही में उठाया जा सकता है। जे.जे. की धारा 9(2) और 9(3) के अनुसार, यदि किशोर की उम्र पर सवाल उठाया जाता है और जांच के बाद यह पाया जाता है कि वह वास्तव में एक किशोर है, तो ऐसे व्यक्ति को उचित आदेश पारित करने के लिए किशोर न्याय बोर्ड (“जे.जे. बोर्ड”) को भेजा जाएगा।

10. इस चरण में, एक और तथ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 19.06.2020 को आवेदक अयान खान की उम्र के तथ्य पर विचार करने और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उसे अपनी हाई स्कूल परीक्षा में उपस्थित होना था, उसे तीन सप्ताह के लिए अल्पकालिक जमानत दी गई और वह आज भी अल्पकालिक जमानत पर बाहर है।

11. इस अदालत ने आवेदक अयान खान की उम्र के बारे में जांच की होगी, यदि यह राज्य द्वारा विवादित किया होगा। लेकिन, राज्य सत्यापन के पश्चात आवेदक की जन्म तिथि 12.04.2005 जैसा कि उसके द्वारा जमानत आवेदन में कहा गया है की पुष्टि करता है।

12. स्वीकार्य रूप से घटना की तिथि अर्थात 17.05.2020 को आवेदक अयान खान भी विधिविरुद्ध किशोर था, जैसा कि जे. जे. अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित किया गया है।

13. अब सवाल यह है कि इस कोर्ट को कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? क्या इस अदालत को जमानत अर्जी पर विचार करना चाहिए? शायद यह अदालत ऐसा न करे क्योंकि विधिविरुद्ध किशोर की जमानत पर विचार करना पूरी तरह से अलग है। जे.जे. अधिनियम की धारा 12 विधिविरुद्ध किशोर की जमानत अर्जी के संबंध में प्रावधान करता है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि क्या अपराध जमानती है या गैर-जमानती है।

14. एक सामान्य नियम के रूप में, विधिविरुद्ध प्रत्येक किशोर को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए, जब तक कि जे. जे. अधिनियम की धारा 12(1) के परंतुक में उल्लिखित परिस्थितियाँ न हों। यदि विधिविरुद्ध किसी किशोर को जे. जे. बोर्ड के समक्ष पेश किया जाता है तो उसके जमानत आवेदन पर जे. जे. अधिनियम खंड धारा 12 से विचार किया जाएगा और यदि जमानत से इनकार किया जाता है तो ऐसा आदेश अपील योग्य है यदि यह न्यायालय आवेदक अयान खान के जमानत आवेदन पर विचार करता है और उसे जमानत देने से इनकार करता है तो आवेदक अपील करने का अपना अधिकार खो देगा जो उसे जमानत देने से इनकार करने वाले जे. जे. बोर्ड के किसी भी आदेश के विरुद्ध प्राप्त होता।

15. इसके साथ ही जमानत के आवेदन पर विचार करते समय विधिविरुद्ध किशोर के सामाजिक संबंधों/स्थिति के संबंध में परिवीक्षा अधिकारी से रिपोर्ट भी मांगी जा सकती है। इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि आवेदक, अयान खान की जमानत याचिका को जे. जे. बोर्ड, जिला उधम सिंह नगर के समक्ष रखा जाना चाहिए।

16. चूंकि, आवेदक, अयान खान अल्पकालिक जमानत पर है, इसलिए यह न्यायालय उसे संबंधित जे. जे. बोर्ड के समक्ष उसकी हाजिरी के साथ जमानत के लिए आवेदन करने का अवसर प्रदान कर सकता है। उस तिथि को, मामले का जांच अधिकारी भी पूरी सामग्री के साथ उपस्थित हो सकता है। साथ ही, यह न्यायालय यह भी मानता है कि परिवीक्षा अधिकारी उधम सिंह नगर, आवेदक अयान खान के सामाजिक संबंधों/स्थिति के बारे में संबंधित जे. जे. बोर्ड के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी निर्देशित किया जा सकता है।

17. आवेदक अयान खान को दी गई अल्पकालिक जमानत 23.07.2020 तक बढ़ा दी गई है।

18 आवेदक अयान खान 23.07.2020 को जेजे बोर्ड, उधम सिंह नगर के समक्ष उपस्थित होंगे। इस मामले का जांच अधिकारी भी, आवेदक अयान खान से संबंधित सभी सामग्री के साथ 23.07.2020 को जेजे बोर्ड के समक्ष उपस्थित होगा।

19. प्रोबेशन अधिकारी उधम सिंह नगर, जे.जे. बोर्ड उधम सिंह नगर के समक्ष आवेदक अयान खान के सामाजिक संबंधों/स्थिति से संबंधित एक रिपोर्ट भी, 23.07.2020 को या उससे पहले प्रस्तुत करेगा।

20. इस मामले में अब कुछ नहीं बचा है, इसलिए इस मामले की कार्यवाही बंद की जाती है।

21. इस आदेश की एक प्रति जेजे बोर्ड उधम सिंह नगर, एस. एस. पी. उधम सिंह नगर और प्रोबेशन ऑफिसर उधम सिंह नगर को भेजी जाए।

22. इस आदेश की प्रमाणित प्रति पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को कल तक सामान्य प्रभारों के भुगतान पर उपलब्ध करा दी जाए।

(रवीन्द्र मैठाणी, जे.)

07.07.2020

शुभम